भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Government of India)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर, सी–38, सादुलगंज,
बीकानेर (राजस्थान)– 334002
Project Implementation Unit- Bikaner, C-38, Sadulganj,
Bikaner (Rajasthan) - 334002, फोन / Tel.: 0151-2224477
ई-मेल : bikaner@nhai.org, nhaibikaner@gmail.com

सत्यमेव जयते

No.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/10456 Date 10.01.2023

Integrated Regional Officer,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
A-218 & B-216, ARANYA BHAWAN
Jhalana Institutional Area, Jaipur-3020004

(Online proposal No. FP/RJ/RAOD/41036/2019)

Sub: Diversion of 11.8259 hectare Forest Land for Upgradation to 2 lane with paved shoulder/ 4 lane of Khajuwala - Poogal Section (Design chainage 0+000 to 30+812) and Poogal - Dantour - Jaggasar - Gokul - Goddu- Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap section of NH-911 (Design chainage 1+430 to 182+725) (Total Length 212.107 Km) under BharatmalaPariyojna in the state of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode: **Compliance of conditions of Inprinciple Approval of FCA Proposal -reg.**

Ref :
(1) Your office letter no. 8B/Raj./06/29/2020/FC dated 31.08.2022
(2) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/ 8932 dated 30.11.2021
(3) DFO IGNP II Bikaner letter no. एफ( )सर्वे / उवसं–स्टेज–II / 2022–23 / 20 दिनांक 03.01.2023
(4) DFO IGNP I Chattagarh letter no. एफ( )सर्वे / उवसंछ / 2022–2023 / 5620 दिनांक 06.12.2022
(5) CCF Bikaner letter no. एफ 12(278)सर्वे / संमुवसं / 2020–21 / 160 दिनांक 09.01.2023

Sir,

This has reference to your letters under reference (1). The point-wise compliance of the same are as under :

S.No.	Conditions	Compliance
1	Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is not submitted, the records of consultation and meeting at the District Level Committee. Sub Division Level Committee and Gram Sabha level have not been submitted. State Govt. is requested to submit/upload FRA certificate along with the above information.	Complete Compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 has been submitted vide this office letter cited under reference at Sr. No (2) (Copy attached). The records of consultation and meeting at the District Level Committee, Sub-Divisional Level and Gram Sabha Level have been attached. Copy of FRA Certificate is attached.
2	Proposal involves violation of FCA 1980 details of persons/officer responsible for violation and action taken report has been submitted	Relevant papers has been submitted by DFO IGNP II Bikaner DFO IGNP-I, Chattagarh and CCF Bikaner are attached for NPV claimed and submitted.

Yours faithfully,

Encl : As above.

O/C
परियोजना निदेशक/Project Director
भाराराप्रा प.का.ई. बीकानेर/NHAI, PIU, Bikaner

Copy to following for kind information and necessary action:-
[1] CGM (T)/RO NHAI Jaipur i.r.t. your letter no. 2064 dated 30.09.2022
[2] CCF Bikaner
[2] DFO IGNP-II Bikaner.
[3] DFO IGNP Chattagarh

DO | श्री ... | पु.. 3/9

89

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर / Integrated Regional Office, Jaipur

ए 218 & बी 216 "अरण्य भवन", झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर - ३०२००४ / A-218& B-216, "ARANYA BHAWAN", Jhalana Institutional Area, Jaipur-302004
दूरभाष/Tel No: 0141-2713858. 2713786 Email: iro.jaipur-mefcc@gov.in

File No. 8 बी/राज/06/29/2020/FC

Date: 31st August, 2022

सेवा में,
शासन सचिव (वन)
सिविल सचिवालय, राजस्थान शासन,
जयपुर, राजस्थान।

(Online Proposal No: FP/RJ/ROAD/41036/2019)

विषय: **Diversion of 11.8259 ha of forest land in favour of National Highways Authority of India for upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala- Poogal Section (Design Chainage 0+000 to 30+812) and Poogal-Dantour-Jaggasar-Gokul-Goddu-Ranjitpura- Charanwala-Naukh Bap Section of NH-911 (Design Chainage 1+430 to 182+725) (Total length 212.107 Km) under Bharatmala Pariyojana.**

सन्दर्भ: शासन सचिव (वन), राजस्थान का पत्र क्रमांक P.1(53)Forest/2020Part दिनांक 30.06.2022.

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रस्ताव पर इस कार्यालय के सैद्धांतिक अनुमोदन दिनांक 16.10.2020 का अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित कर केन्द्र सरकार की वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी गयी थी।

अनुपालन प्रतिवेदन के परिक्षणोपरांत यह पाया गया कि राज्य शासन द्वारा सम्पूर्ण जानकारी/ दस्तावेज परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये है। अतः राज्य शासन से अनुरोध है कि निम्नलिखित आवश्यक जानकारी इस कार्यालय को ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करायेः

1. Complete compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 is not submitted, the records of consultation and meetings at the District Level Committee, Sub-Divisional Level Committee and Gram Sabha level have not been submitted. State Govt. is requested to submit/ upload the FRA certificate along with the above information.
2. Proposal involves violation of FCA, 1980, details of persons/officers responsible for violation and action taken report shall be submitted.

इस संबंध में राज्य शासन से यह अनुरोध है कि उपरोक्त जानकारी को ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेज सहित अपलोड करायें ताकि अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें।

भवदीय,

31/8/2022

(श्रवण कुमार वर्मा)
उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः (ई-मेल द्वारा)

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, अरण्य भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर, राजस्थान।

File No.8B/Raj/06/29/2020

2. उप वन संरक्षक, छतरगढ़ वनमण्डल, छतरगढ़, बीकानेर, राजस्थान।
3. उप वन संरक्षक, इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज-2 वनमण्डल, बीकानेर, राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर, सी-38, सादुलगंज, बीकानेर- 334002, राजस्थान।
5. आदेश पत्रावली।

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर

क्रमांक :– एफ 12 (278) सर्वे / संमुवसं / 2020–21 / 160 दिनांक :– 09/01/23
निमित्त :–

भारारा.रा.प्रा., पकाई, बीकानेर प्राप्त Receipt No. 14501 दिनांक Date 10.01.2023 NHAI, PIU, BIKANER

परियाजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण,
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर,
सी–38, सादुलगंज, बीकानेर (राजस्थान) – 334002

विषयः– Diversion of 11.8259 Ha. Forest Land in favour of National Highways Authorty of India, Bikaner for Upgradation to 2 lane with paved shoulder 4 lane of Khajuwala- Poogal Section (Design Ch.0. 000 to Ch. 30.812) and Poogal-Dantour-jaggasar- Gokul-Goddu-Ranjitpura-Charanwala-Naukh under Bharatmala Pariyojana .

संदर्भः– आपका 10198 दिनांक 18.11.2022 क्रम में।

(PROPOSAL No. FP/RJ/ROAD/41036/2019)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षैत्रीय कार्यालय जयपुर का पत्रांक 8 बी / राज / 06 / 29 / 2020 / एफसी दिनांक 31.08.2022 में वर्णित बिन्दु संख्या 2 की अनुपालना में उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प., स्टेज–II, बीकानेर के पत्रांक 8397 दिनांक 13.12.2022 द्वारा सूचना / कार्यवाही की वांछित रिपोर्ट आपको प्रेषित की जा चुकी है। उप वन संरक्षक, छतरगढ के पत्रांक 5620–22 दिनांक 06.12.2022 से प्राप्त अनुपालना कार्यवाही आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक– समसंख्यक / दिनांक –

प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, इ.गा.न.प., स्टेज–II, बीकानेर को उनके पत्रांक 8398 दिनांक 13.12.2022 के क्रम में प्रेषित कर निवेदन है उक्तानुसार वर्णित बिन्दु संख्या 2 की अनुपालना में आप द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण को प्रेषित रिपोर्ट / दस्तावेज की प्रति इस कार्यालय में भिजवायें।

उप वन संरक्षक (प्रशासन)
कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक
बीकानेर

444

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय क्षेत्रीय वन अधिकारी,छतरगढ़ (बीकानेर)

क्रमांक :– एफ( )विधि / क्षेवअ / 2022–23 / 669 दिनांक :– 06/12/2022

निमित :–
श्रीमान् उपवन संरक्षक,
इ.गां.न.प., स्टेज–प्रथम,
छतरगढ़ (बीकानेर)।

विषय :– Diversion of 11.8259 hactare Forest Land for Upgradation to 2 lane with paved shoulder/4 lane of Khajuwala-Poogal Section (Design chainage 0+000 to 30+812) and poogal-Dantour-jaggasar-Gokul-Goddu-Ranjitpura-Charanwala-Naukh-Bap section of NH-911 (Design Chainage 1+430 to 182+725) (Total Length 212.107 Km) Under Bharatmala Pariyojana in the State of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode.

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रकरण पत्र में वर्णित बिन्दु सं. 02 Proposal involves violation of FCA 1980 details of persons/officers responsible for violation and action taken report has been submitted के संबंध में यूजर ऐजेन्सी द्वारा वन क्षेत्र ई.गाँ.न.प 583–84 आरडी एल/एस के मध्य मिट्टी उठाना एवम् अ. टोर्टलिस के दस छोटे पेड़ काटे गये जिसके विरूद्ध इस कार्यालय द्वारा प्रारम्भिक अपराध सूचना 102/19 दिनांक 20.05.2020 द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान रामकरण पुत्र रामेश्वर लाल तथा जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. 3 डी.ओ.एल. छतरगढ़ द्वारा कारित अपराध का शमन करते हुए विभागीय रवन्ना सं. 64/47 दिनांक 12.01.2021 द्वारा 25,000/– रूपये एवजाना राशि वसूल की गई। जिसे चालान सं. 23 दिनांक 19.01.2021 जीआरएन नं 46614527 दिनांक 19.01.2021 राशि 25,000/– मद 0406–01–800–01–00–अर्थदण्ड और राजसात्करण द्वारा एसबीआई बैंक छतरगढ़ में जमा करवाई गई।

संलग्न :–

1 विभागीय पीओआर की प्रति।
2 विभागीय रवन्ना सं. की प्रति।
3 चालान की प्रति।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(योगेन्द्र सिंह राठौड़)
क्षेत्रीय वन अधिकारी
छतरगढ़

FCA 06/12/2022

कार्यालय उप वन संरक्षक
क्रमांक 1667
दिनांक 06/12/22
इ.गा.न.प.स्टेज-1, छतरगढ़

Scanned by CamScanner

राजस्थान वन अधि. 1953 ...

... मु. म. 205-10-11-100 बुक एफ. डी. फार्म

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

प्रथम प्रति 19

पुस्तक क्रमांक 102 पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट 20/05/2020

2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान ...

3. अपराध का विवरण ...

4. घटना का स्थान ...

5. दिनांक अपराध करने का 20/05/2020

6. विवरण मालायार जंगल जो पकडी गई व जो कार्यवाही की गई ...

7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया ...

8. नाम साक्षी 1. ...

2. ...

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

... सूचना मिलने के 24 घंटे ... अन्दर यह

Scanned by CamScanner

रा. मु. प्र. 302-10-07-100 बुक

प्रत-1

वन विभाग (फॉर्म आमदनी) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

बिजय पाडरा की प्रारम्भिक कृपना

डिवीजन छतरगढ़ क्रमांक 10474 दिनांक 20/5/2024

(नाके पर रहने को) 47

बुक नं. 64 पेज नं.

सदर नं. दि० 12/01/2024 नं. 206

नाका नं. ता. मियाद से तक

नाम नाका छतरगढ़ नाम रेन्ज छतरगढ़

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे GHP S83-84 RD 8/5

पैदावार कहां जावेगी के मध्य

मियाद

नाम खरीददार GR इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि० 370 छतरगढ़

सकूनत मय पता हाल - जिला बीकानेर

मार्फत रमेश कुमार शर्मा - प्रतिनिधि एल्टीडेरिया

किस्म पैदावार वन क्षेत्र से मिट्टी उठाना व पेड़ों को क्षति पहुंचाना

तादाद 10 छोटे कुल्हड़ीवाले पेड़

तादाद महसूल

रकम 25000/- अंको में पच्चीस हजार रु मात्र

साबिक हाल — मीजान 25000/-

25000

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

12/01/2024

23 | 19.1.2021

23 | 19.1.2021

E-CHALLAN (Manual Payment)
Government Of Rajasthan
Forest Department

Remitter's Copy for Dept	
Date:-	19/01/2021 2:51:00 PM
	CHHATARGHARH - DCF, IGNP-STAGE-I, CHHATARGARH
	BIKANER
	19/01/2021 To 19/01/2021
	Amount ₹
...ड और राजसात्करण	25,000.00
...NP STG I CHHATARGARH(BIKANER)	
₹	0.00
₹	25,000.00
...Rupees and Zero Paise Only	
Payee Detail	
...Taxid/Lease No:-	0
	CHHATARGHARH - DCF IGNP-STAGE-I, CHHATARGARH
	Bikaner- 000000
	...audit.11277 NoOfReceipts 1
FOR USE IN RECEIVING BANK	
	SBI AnyWhere

Valid Upto:-	31/03/2021	Remitter's Copy
GRN :- 46614527	Date:-	19/01/2021 2:51:00 PM
BarCode:-		
Office Name:-	CHHATARGHARH - DCF, IGNP-STAGE-I, CHHATARGARH	
Location:-	BIKANER	
Year:	19/01/2021 To 19/01/2021	
Head(0406)		Amount ₹
0406-01-800-01-00-अर्थ-दण्ड और राजसात्करण		25,000.00
DivCode315-D.C.F. IGNP STG I CHHATARGARH(BIKANER)		
Discount :-	₹	0.00
Total/Net Amount:-	₹	25,000.00
Twenty Five Thousand Rupees and Zero Paise Only		
Payee Detail		
TIN/Actt. no./VehicleNo/Taxid/Lease No:-		0
PAN No.:-		
Remitter Name:-	CHHATARGHARH - DCF IGNP-STAGE-I CHHATARGARH	
Address:-	NA Bikaner- 000000	
Remarks:	User audit.11277 NoOfReceipts 1	
FOR USE IN RECEIVING BANK		
Cheque-DD-No.:		
Bank CIN No:-		
Bank	SBI AnyWhere	

31.1.2021

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छत्तरगढ़

क्षेत्रीय वन अधिकारी
छत्तरगढ़

J# 147436534

21/01/21

...02/19
...date 20/5/2021
...account on T+1 basis
54/57 date 12.01.2021

क्षेत्रीय वन अधिकारी

248

राजस्थान सरकार
वन विभाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, स्टेज–II, बीकानेर

क्रमांकः– एफ( )सर्वे / उवसं–स्टेज–II / 2022–23 / 20 दिनांकः– 3-1-23

निमित्तः–

परियोजना निदेशक
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
सी–38 सादुल गंज बीकानेर।

D0/SN:

7/1/2023

विषयः– 11.8259 Ha. forest land in Favour of National highways athorty of india, Bikaner for upgration to 2 lane with paved shoulder 4 lane of khajuwala-poogal section (design ch. 0.00 to 30.812) and poogal-gantour-jaggasar-gokul-ranjitpura-naukh bharatmala pariyojana ।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 10198 दिनांक 18.11.2022, 0310 दिनांक 19.12.2022 भारत सरकार का पत्रांक 8बी / राज / 06 / 29 / 2020 / एफसी दिनांक 31.08.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के प्रासंगिक पत्र में बिन्दु संख्या 2 में वांछित सूचना / कार्यवाही की वांछित रिपोर्ट संलग्न अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर उक्त प्रकरणों में राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रकरणों में एवजाना राशि वसूल कर कम्पाउंड कर दिये गये है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भा.रा.रा.प्रा., पकाई, बीकानेर
प्राप्त
Receipt No. 14484
दिनांक Date 07/1/23
NHAI, PIU, BIKANER

भवदीय,

उप वन संरक्षक
इगानप.स्टेज–II,
बीकानेर

क्रमांक / सम दिनांकः–

प्रतिलिपि श्रीमान संभागीय मुख्य वन संरक्षक, बीकानेर को उनके पत्रांक 8777–78 दिनांक 01.12.2022 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
इगानप.स्टेज–II,
बीकानेर

रा. मु. व. प्र. ... प्रपत्र

वन विभाग (फोर्म आमदनी) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन रेंज II, बीकानेर

(नाके पर रहने की)

5

बुक नं. 5 जरिये F.I.R. No. 35/2 8-8-2020

सदर नं. सं. 207

नाका नं. ता. 19-2-2[illegible] मियाद से तक

नाम नाका गोडू नाम रेन्ज गोडू

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे 19 GMR

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार मघाराम / चतराराम

सकूनत मय पता निवासी गोडू

मार्फत स्वयं

किस्म पैदावार वन भुमि तोडना

तादाद शरह

तादाद महसूल

रकम पच्चीस हजार अंकों में 25000=00

साबिक 58000 हाल 25000 मीजान 83000=00

ह. इजराय कुनिन्दा

ह. व्यापारी

[signature]

एजाज

प्रा. मु. छ.   प्रप. 1

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (ब)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन स्टेज II, बीकानेर

(नाके पर रहने की)

बुक नं. जरिये FIR No. 35/1 8-8-20

रवर नं. 5 19-2-21 सं. 207

नाका नं. ता. मियाद से तक

नाम नाका 25RD PSSM, रावतसर नाम रेन्ज गोडू

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे 25RD PSSM पन्ज 9PSSM

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार सुखराम / कल्लू राम मेघवाल

सकूनत मय पता निवासी गोडू

मार्फत स्वयं

किस्म पैदावार वन भुमि तोड़ना

तादाद शरह

तादाद महसूल

रकम अठाईस हजार अंकों में 28,000 = ∞

साबिक 30,000 हाल 28000 मीजान 58000 = ∞

द. दजराय कुनिन्दा

द. व्यापारी

[signature] एजाज

रा. प्र. उ.   प्रप. 1

वन विभाग (फार्म आमदनी) नं. 1 (क)

वन विभाग, राजस्थान

डिविजन रेन्ज II, बीकानेर

(नाके पर रहने की) 3

बुक नं. ओरगे FIR No. 49/37

सदर नं. 5 19-2-2021 19-1-2019 सं. 207

नाका नं.   ता.   मियाद   से   तक

नाम नाका गोडू   नाम रेन्ज गोडू

नाम जंगल जहां से पैदावार लाई जावे

पैदावार कहां जावेगी

मियाद

नाम खरीददार शिवराज/राधाकिशन बिश्नोई

सकूनत मय पता नि. ~~फूलासर~~ गोडू

मार्फत जितेन्द्र सिंह

किस्म पैदावार खेजाना मिट्टी खोदना पौधे नष्ट करना

तादाद   शरह

तादाद महसूल

रकम 30000=00 अंकों में तीस हजार मात्र

साबिक —   हाल 30000=00 मीजान 30000=00

द. इजराय कुनिन्दा

द. व्यापारी

(signature)

एजेन्ट

[illegible] 1/[illegible]/14 भाग 1

[illegible] 20 वन विभाग [illegible] राजस्थान फार्म नं० 1 (अ)

[illegible] वन विभाग राजस्थान

उ०व०र०प० इकाई चतुर्थ छरना

[illegible]

([illegible] को देने की)

क्र० सं० 1367 बुक नं० 18

[illegible] 19/4/2024 सं० 2024

[illegible] नं० [illegible] मियाद [illegible] तक

नाम नाका [illegible] नाम रेन्ज इकाई चतुर्थ 29 RD

[illegible] जहाँ से पैदावार लाई जावे [illegible]

पैदावार [illegible] [illegible]

[illegible]

नाम व वल्दियत औंकु सिंह/बले सिंह राजपूत

सकूनत मय पता चौरणवाली

मार्फत जितेन्द्र सिंह

किस्म पैदावार वन भूमि तोड़ना

तादाद [illegible]

तादाद महसूल [illegible]

रकम 31,000/- अक्षरों में इकतीस हजार रुपये

[illegible] हाल मीजान

ह० ठेकेदार/ लाइसेंसदार [illegible] वनरक्षक

ह० [illegible]

[illegible] (signature)

थाने नं F. D. Form No. 8

Doc filed 14/11/22

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

प्रथम प्रति 1

पुस्तक क्रमांक 35 पृष्ठ क्रमांक

1. तारीख रिपोर्ट 8-8-20
2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान सुखराम S/o कालूराम जाति मेघवाल निवासी गाडू
3. अपराध का विवरण वन भूमि तोड़ना
4. घटना का स्थान 25 RD PSSM चक 4 PSSM
5. दिनांक अपराध करने का 7-8-20
6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई
7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया ? हस्ब जाब्ता
8. नाम साक्षी 1. श्री तेज सिंह स. वनपाल
   2. श्री गोपाल स. वनपाल

कार्यालय उप वन संरक्षक ... 2979 14/11/22

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

गोपाल

व. नि. फार्म-8

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

49 प्रथम प्रति 37

पृष्ठ क्रमांक

पुस्तक क्रमांक

[illegible]/12/[illegible]

(1) अपराध तिथि

(2) दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान शिवराज S/o

[illegible]

(3) अपराध का विवरण [illegible]

[illegible]

पता की स्थिति 15 [illegible]

(5) किस अपराध के दोषी का [illegible]

[illegible] कार्यवाही की

[illegible] कार्यवाही की गई

[illegible]

[illegible] 1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

फार्म नं.   F. D. Form No. 8

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

First Information Report

प्रथम प्रति

पुस्तक क्रमांक 35   पृष्ठ क्रमांक 2

1. तारीख रिपोर्ट 8-8-20

2. दोषी का नाम, जाति एवं निवास स्थान मेधाराम S/o भैराराम जाति मेघवाल नि० गोड़

3. अपराध का विवरण वन भूमि तोड़ना

4. घटना का स्थान 19 GMR

5. दिनांक अपराध करने का 7-8-20

6. विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई

7. किसकी सुपुर्दगी में रखा गया ? हस्व जाब्ता

नाम साक्षी 1. श्री तेज सिंह स० वनपाल

2. श्री जेठाराम वृ०पा०

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

राजस्थान वन अधिनियम 1953 की धारा 30, 31, 33 के उल्लंघन में

वन विभाग, राजस्थान

अपराध की प्रारम्भिक सूचना

1ª

293 प्रथम प्रति

पुस्तक क्रमांक पृष्ठ संख्या

(1) तारीख रिपोर्ट 07/08/2020

(2) दोषी का नाम, जाति एवं निवासस्थान औंसू सिंह पुत्र बले सिंह, जाति राजपूत, नारवाली

(3) अपराध का विवरण वन भूमि तोड़ना

(4) घटना का स्थान SHLM / 7/8 CM

(5) दिनांक अपराध करने की 06/8/2020

(6) विवरण पैदावार जंगल जो पकड़ी गई व जो कार्यवाही की गई नियमानुसार कार्यवाही

(7) किसकी सुपुर्दगी में रखा गया तहवील राज्य सरकार

(8) नाम साक्षी 1. गणपत सिंह, वनरक्षक
2. हेमाराम, बेलदार

Compounded with Receipt No 1367/18 Dt. 17/2/21 Amount Rs 3050/- Challan No. 697909

[illegible]

हस्ताक्षर रिपोर्ट कुनिन्दा

रिपोर्ट कुनिन्दा को सूचना मिलने के 24 घण्टे के अन्दर में सूचना रवाना करनी चाहिये।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय)
National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways)
परियोजना कार्यान्वयन इकाई, बीकानेर
Project Implementation Unit, Bikaner
सी-38, सादुलगंज, बीकानेर (राजस्थान)- 334002
C-38, Sadul Ganj, Bikaner (Raj.) - 334002

दूरभाष / Phone : 0151-2224477
फैक्स / Fax : 0151-2224077
ई-मेल / E-mail bikaner@nhai.org
nhaibikaner@gmail.com

67

1/4

भारतमाला
प्रगति के पथ पर अग्रसर

No.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/ 8932 Date 30.11.2021

Deputy Conservator of Forest,
IGNP Stage-I, Chattargarh, Dist.- Bikaner.

Deputy Conservator of Forest,
IGNP Stage-II, Bikaner

Sub: Diversion of 11.8259 hectare Forest Land for Upgradation to 2 lane with paved shoulder/ 4 lane of Khajuwala - Poogal Section (Design chainage 0+000 to 30+812) and Poogal - Dantour - Jaggasar - Gokul - Goddu- Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap section of NH-911 (Design chainage 1+430 to 182+725) (Total Length 212.107 Km) under BharatmalaPariyojna in the state of Rajasthan on Hybrid Annuity Mode: **Compliance of conditions of Inprinciple Approval of FCA Proposal -reg.**

Ref :
(1) MoEF, Lucknow 8B/06/29/2020/FC/24 dated 16.10.2020
(2) DCF, IGNP Stage-II, Bikaner letter No. एफ( )सर्वे/उवसं–स्टेज–I/20–21/3775 dated 11.11.2020
(3) DCF, IGNP Stage-I,Chhatargarh letter no. एफ( )सर्वे/उवसं–स्टेज–II/2020–21/5564 dated 21.10.2020
(4) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/7485 dated 02.12.2020.
(5) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/7486 dated 02.12.2020.
(6) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/7752 dated 27.01.2021.
(7) अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्श्न एवं नोडल अधिकारी एफसीए. राजस्थान जयपुर का पत्र कमांक एफ. 14() 2019/सयुक्त रोड/एफसीए/प्रमुवसं/2674–78 दिनांक 22.09.2021
(8) DCF, IGNP Stage-II, Bikaner letter No. एफ()सर्वे/उवसं–स्टेज–I/2021–22/6384 dated 06.10.2021
(9) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/8912 dated 17.11.2021

Sir,

This has reference to your letters under reference (2), (3) & (7) above. The point-wise compliance of MoEF, Lucknow letter under reference (1) are as under :

S. No.	Conditions	Compliance
1.	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	It is certified that the Legal Status of Forest Land will remain unchanged.
2.	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department over 23.65182 ha. degraded forest land (Compartment/ Khasra No.01, Village Bikampur, Tehsil Bajju, District-Bikaner) at the cost of the user agency. As far as possible, a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species may be avoided.	This pertains to DCF, IGNP Stage-II, Bikaner
3.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA landshall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years	Compensatory Afforestation (11.8259x2 =23.65182ha.x1.36830) = Rs.32,36,279/- deposited in CAMPA fund on 20.11.2020 through NEFT no.P325200073527926-RAJASTHAN CAMPA dated 20.11.2020 by NHAI (Application no.6141036382 MoEF /SG File no.8B/RAJ/06/29/2020 in the account no. 150856141036382 in RAJASTHAN CAMPA Bank Detail : Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi.(challan enclosed).

86

(214)

		Due to increase of Labour rates the deposition of difference amount are as under:- Compensatory Afforestation Rs. 408064/- deposited in CAMPA fund on 03.11.2021 through NEFT no.PB07210136456856-RAJASTHAN CAMPA dated 03.11.2021 by NHAI (Application no. 6141036153 MoEF /SG File no.8B/RAJ/06/29/2020 in the account no. 150856141036153 in RAJASTHAN CAMPA Bank Detail : Union Bank of India, Lodhi Complex Branch, Block11, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi- 110003 (challan enclosed).
4.	The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 11.8259 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP I No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt.II) dated18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard	The Net Present Value Rs.51,79,748/- for 11.8259 ha. of land as per details given below : Bikaner 6.8806 ha. : Rs.30,13,703/- Chhatargarh 4.9453 ha. : Rs.21,66,045/- ----------------- **Total** **: Rs.51,79,748/-** deposited in CAMPA fund on 20.11.2020 through NEFT no.P325200073527926-RAJASTHAN CAMPA dated 20.11.2020 by NHAI (Application no.6141036382 MoEF /SG File no.8B/RAJ/06/29/2020 in the account no. 150856141036382 in RAJASTHAN CAMPA Bank Details : Corporation Bank, Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Ph-I, Lodhi Road, New Delhi-110003).
5.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User agency shall furnish an undertaking to this effect	Undertaking enclosed.
6.	User agency shall restrict the felling of trees to minimum number the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department	It is certified that minimum number of trees shall be felled. Undertaking enclosed. Demand Drafts towards felling of total 1058 nos. of trees as per details given below, have been deposited separately to the respective DFOs **(ref. 4 & 5)**: (1) DCF, IGNP Stage-I, Chattargarh DD no.022273 dated 20.11.2020 for a sum of Rs.5,00,325/- towards felling of 578 nos. trees. (2)DCF,IGNP Stage-II, Bikaner DD no. 022274 dt.20.11.2020 for a sum of Rs.10,87,038/- towards felling of 480 nos. trees.
7.	As far as possible maximum number of trees shall be translocated according to detailed scheme for translocation of suitable plants, prepared in consultation with the State Forest Department and the cost for the same shall be borne by the user Agency	Maximum number of trees will be translocated and the cost for the same will be borne by Concessionaire. Undertaking enclosed.

85

(3/4)

8.	The complete compliance of the FRA 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector	FRA 2006 is under process at the level of District Collector, Bikaner and the same shall be submitted shortly (undertaking enclosed)
9.	User agency shall raise strip plantation both sides and central verge of the road as per the IRC norms Scheme for Road side plantation as per IRC norms, prepared in consultation with the State Forest Department and the cost for the same shall be borne by the user Agency	Strip Plantation as per IRC norms shall be done on both side of the road after completion of work in consultation with the State Forest Department. Undertaking enclosed.
10	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/ Forest Areas	Noted. Speed regulating signage will be installed as per the provisions of CA /IRC in the Forest Area. Undertaking enclosed.
11	The user agency shall provide suitable under/over pass in Protected Area/Forest Area as per recommendations of CWLW/NBWL/FAC/RECC	Suitable under / overpass in Protected Area/ Forest Area will be constructed as per the provision of CA. Undertaking enclosed.
12	User Agency shall obtain Environmental Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if applicable	Environmental Clearance is not applicable for this project road.
13	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government	Noted. No change in layout plan shall be done without approval of Govt. Undertaking enclosed.
14	No labour camp shall be established on the forest land	Noted. No labour camp shall be established in Forest Land. Undertaking enclosed.
15	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel, shall be provided by the User Agency to the labourer after Purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	Agreed. Undertaking enclosed.
16	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer	The boundary of the diverted Forest land has been demarcated with concrete pillars. Undertaking enclosed.
17	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work	Noted. No additional or new path will be constructed inside the forest area. Undertaking enclosed.
18	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency or the project life, whichever is less.	Agreed. Undertaking enclosed.
19	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	Noted. Forest land shall not be used for any other purpose. Undertaking enclosed.
20	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	Noted. The forest land shall not be transferred / diverted to any other agency. Undertaking enclosed.
21	DFO should submit a certificate, certifying that no work has been executed in violation of Forest Conservation) Act, 1980 in the said proposal	This pertains to DFO Office

84

(4/4)

22	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F.No 11-42/2017 FC dt. 29/01/2018	DFO wise violated area detail & penal NPV amount has been deposited as under :- Bikaner 0.05 ha. : Rs.4,380/- Chhatargarh 0.5665 ha. : Rs.49,625/- -------------- Total : Rs.54,005/-
23	Before the sanction of this project user agency must take approval from State Government as per Aravali Notification dated 07.05.1992 (if required).	Not Applicable for this project road.
24	The Project Proponent (NHAI) must allow free movement of vehicles of the Forest Department on official duty	Noted and will be complied as desired. Undertaking enclosed.
25	Any other condition that the Ministry of Environment, Forests & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife	Noted and will be complied as desired. Undertaking enclosed.
26	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal (https://parivesh.nic.in)	Noted and has been complied also. Undertaking enclosed.
27	The compliance report shall be uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)	Noted. The Compliance has been provided to the concerned DFO and also being uploaded on e-portal (https://parivesh.nic.in)

Submitted for your information and necessary action.

Yours faithfully,

का०प्र०

परियोजना निदेशक / Project Director
भाराराप्रा प.का.ई, बीकानेर / NHAI, PIU, Bikaner

Enclosure : (1) MoEF, Lucknow 8B/06/29/2020/FC/24 dated 16.10.2020
(2) DCF, IGNP Stage-II, Bikaner letter No. एफ( )सर्वे / उवसं–स्टेज–I / 20–21 / 3775 dated 11.11.2020
(3) DCF, IGNP Stage-I, Chhatargarh letter no. एफ( )सर्वे / उवसं–स्टेज.II / 2020–21 / 5564 dated 21.10.2020
(4) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/7485 dated 02.12.2020.
(5) This office letter no.16003/1/2017/BM-10 (Forest)/7486 dated 02.12.2020.
(6) NEFT/RTGS Challan for Ad-HOC CAMPA dated 12.11.2020
(7) NEFT Transfer bank statement.
(8) Copy of online payment history made by User Agency under CAMPA (Parivesh portal).
(9) NEFT/RTGS Challan for CAMPA Funds dated 13.10.2021.
(10) Copy of difference amount online payment history made by User Agency under CAMPA (Parivesh portal).

Copy submitted for information and necessary action :

(1) The Additional Principal Chief Conservator of Forest & Nodal Officer, Araniya Bhawan, Jhalana Institutional Area, Jaipur.
(2) The Chief Conservatory of Forest, Forest Department, Bikaner

Annexure-I

FORM-I

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ 1104 Dated- 09-02-2021

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **8.0285 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PD-PIU Bikaner, National Higways Authority of India for Selected state road stretches for 2 Two/Four laning with paved shoulder of NH Configuration under Bhart Mala Scheme from Poogal - Aladin K Bera - Berivawala and Poogal - Barasalpur - Ranjitpura - Charanwala - Naukh - Bap (Package - 10). falls within jurisdiction of Poogal, Khajuwala and Bajju tehsils District Bikaner.**

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **8.0285 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; AS above

9/2/21

(Namit Mehta)
District Collector, Bikaner

No. F.8-1( ) Revenue/Forest/Diversion/14/ Dated-

Copy forwarded to :

1. DFO (Territorial), Chhattargarh
2. DFO (Territorial), Bikaner
3. DFO (Stage-II), Bikaner

Add. District Collector
(Adm.), Bikaner

कार्यालय जिला कलक्टर, बीकानेर

क्रमांक : एफ.8–1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/982 दिनांक : 05-02-2021

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 2.6.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांकः प.6(14)प्रसु/अनु–3/2008 (1) दिनांक 14.3.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 03.02.2021 को सायं 5:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए :–

1.	श्री ओमप्रकाश, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर	सदस्य
2	श्री बी.आर. धोजक, अति० जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर	प्र0अधिकारी राजस्व शाखा
3.	अनिता, उप वन संरक्षक, बीकानेर	सदस्य

मनोनीत सदस्य श्री रामधन, मदनलाल व श्रीमती हेमा देवी, जिला परिषद सदस्य उपस्थित नहीं आये।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिधनियम 2006 एवम् नियम 2008 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण विचारार्थ रखे गये :–

1. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते– भारतमाला परियोजना हेतु बीकानेर जिले में 2/4 लेन पूगल–अलदीन का बेरा–बेरीयांवाला और पूगल–बरसलपुर–रणजीतपुरा– चारणवाला–नोख–बाप (पैकेज–10) रकबा 8.0285 हैक्टेयर
2. वन भूमि प्रत्यावर्तन वास्ते– हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिटेल आउटलेट पोकरण–बीकानेर रोड़ (एनएच–11) किमी स्टोन नं0 393–394 (चैनेज 393/923 से 393/958) एलएचएस खसरा नम्बर 1024/251 ग्राम गजनेर तहसील कोलायत रकबा 0.1253 हैक्टेयर

उक्त प्रकरणों में उपर्युक्त प्रयोजनार्थ उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन किया जा चुका है।

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर कोई दावे लम्बित नहीं है। अतः बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने के कारण अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के अन्तर्गत वन क्षेत्र में पड़ने वाली उपर्युक्त प्रकरणों की भूमि पर सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गई।

अतः उक्त प्रकरण में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापति प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सर्वसम्मति से अभिशंषा की जाती है।

ओमप्रकाश
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बीकानेर

नमित मेहता
जिला कलक्टर
बीकानेर

बी.आर.धोजक
अति0 जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

अनिता
उप वन संरक्षक
बीकानेर

क्रमांक : एफ.8–1( )राजस्व/वन/प्रत्या./14/983-86 दिनांक : 05-02-2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बीकानेर ।
2. उप वन संरक्षक, बीकानेर ।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सी–38, सादुलगंज, बीकानेर।
4. डिप्टी जनरल मैनेजर–रिटेल, हिन्तुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., भगत की कोठी, न्यू पॉवर हाउस रोड़, जोधपुर–342 005

जिला कलक्टर, बीकानेर

54

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल जिला बीकानेर

क्रमांक

दिनांक

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/19/2015/एफ.री/201 दिनांक 02.06.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांकः प. 6(14) प्रसु/अनु–3/2008 (1) दिनांक 14.03.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 11.01.2021 को 11.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकरीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुएः–

1. उपखण्ड अधिकारी पूगल।
2. तहसीलदार, पूगल।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति पूगल।
4. श्री महेन्द्र मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, डेलीतलाई।
5. श्री सुरेन्द्रपाल मीणा, क्षेत्रीय वन अधिकारी, दंतोर।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गयाः–

1. भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–अलादीन का बेरा व पूगल–दंतौर, रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. 911 के निर्माण करने के संबंध में ग्राम पंचायत 2 ADM में कुल क्षेत्रफल 1.5221 हैक्टेयर एवं ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा में कुल क्षेत्रफल 1.4461 ग्राम पंचायत पूगल में कुल क्षेत्रफल 1.259, ग्राम पंचायत गंगाजली में कुल क्षेत्रफल 0.0348 हैक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 4.252 हैक्टेयर पर निर्माण कार्य के दौरान आने वाले रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति और अन्य पर अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियो की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिरण (सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

अनुशंषाः–

1. भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–अलादीन का बेरा व पूगल–दंतौर, रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. 911 के निर्माण करने के संबंध में ग्राम पंचायत 2 ADM में कुल क्षेत्रफल 1.5221 हैक्टेयर एवं ग्राम पंचायत पहलवान का बेरा में कुल क्षेत्रफल 1.4461 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत पूगल में कुल क्षेत्रफल 1.249 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत गंगाजली में कुल क्षेत्रफल 0.0348 हैक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 4.252 हैक्टेयर पर निर्माण करने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिरण (सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार कृषक समुदाय को निर्धारित मापदा मुआवजा देने की शर्त पर अनुशंषा की जाती है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति पूगल

उपखण्ड अधिकारी
पूगल जिला–बीकानेर

53

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायतः–

आज दिनांक 11.01.2021 को श्री सुरवासिंह/ ... ग्राम सरपंच / प्रधान.. ... की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–अलादीन का बेरा व पूगल–दंतौर, रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत...... .... से गुजर रही है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1.5221 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–अलादीन का बेरा व पूगल–दंतौर, रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती आवास, या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वनअधिकार प्रदत नही किया गया है तथा वन अधिकार समिति के कथित वन भूमि के संबंध में कोई दावा लम्बित नही होने के कारण ग्राम पचायत ...... को उक्त सम्बन्धित कार्य से कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त कुल क्षेत्रफल के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

[signature] [signature] [signature]

सुरेन्द्र कुमार
ग्राम विकास अधिकारी
...

52

राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू जिला बीकानेर

क्रमांक:–मिटीग / 2021 / 161 दिनांक :–13-01-2021

~~29-01-2021~~

बैठक का कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी / राज / 06 / 19 / 2015 / एफ.री / 201 दिनांक 02.06.2015 एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग–3) राज. जयपुर की आज्ञा क्रमांक प. 6(14) प्रसु / अनु–3 / 2008 (1) दिनांक 14.03.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारयों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 13.01.2021 को प्रातः 11.00 बजे अद्योहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए –

1. श्री उदयपाल सिंह राठौड, उपखण्ड अधिकारी बज्जू।
2. श्री बाबूलाल [illegible], तहसीलदार (राजस्व) बज्जू।
3. श्री दिनेश सिंह भाटी विकास अधिकारी, पंचायत समिति कोलायत।
4. श्री महेन्द्रसिंह क्षेत्रिय वन अधिकारी डेलीतलाई।
5. श्री [illegible] कुमार ग्रावर क्षेत्रिय वन अधिकारी 29 आरडी भूरासर।
6. श्री मनोज विश्नोई क्षेत्रिय वन अधिकारी 156 आरडी बरसलपुर ब्रांच।
7. श्री [illegible] क्षेत्रिय वन अधिकारी गोडु / बीकनपुर।
8. श्री [illegible] कुमार क्षेत्रिय वन अधिकारी 80 आरडी चारणवाला ब्रांच।
9. श्रीमति शारदा देवी सरपंच ग्राम पंचायत रणजीतपुरा।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में [illegible] भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतोर–रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. [illegible] के निर्माण [illegible] संबंध में :–

1. ग्राम जग्गासर के चक 4 जेएम के मु.न. 163 / 46 में कि.न. 6,15,16 में कुल 0.0507 हैक्टेयर है। (कुल क्षेत्रफल 0.0507 हैक्टेयर)

2. ग्राम गोकुल के चक 3 जीएसएम के मु.न. 152 / 4 के कि.न. 11 में कुल 0.0260 हैक्टेयर कि.न. 20 में कुल 0.0252 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.0512 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 3 जीएम के मु.न. 134 / 39 के कि.न. 4 में कुल 0.0556 हैक्टेयर, कि.न. 7 में कुल 0.0286 हैक्टेयर, कि.न. 8 में कुल 0.0319 हैक्टेयर, कि.न. 19 में कुल 0.0494 हैक्टेयर, कि.न. 22 में कुल 0.0420 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.2075 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 5 एचएलएम के मु.न. 116 / 49 के कि.न. 6 में कुल 0.0252 हैक्टेयर, कि.न. 7 में कुल 0.0233 हैक्टेयर, कि.न. 14 में 0.0368 हैक्टेयर, कि.न. 15 में कुल 0.0152 हैक्टेयर, कि.न. 17 में कुल 0.0518 हैक्टेयर, कि.न. 24 में कुल 0.0517 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.2040 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 16 डीओबीडी के मु.न. 98 / 46 के कि.न. 22 में कुल 0.0758 हैक्टेयर, कि.न. 23 में कुल 0.0048 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.0806 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 16 डीओबीडी के मु.न. 98 / 47 के कि.न. 1 में कुल 0.0871 हैक्टेयर, कि.न. 2 में कुल [illegible] हैक्टेयर, कि.न. 10 में कुल 0.0252 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.1487 हैक्टेयर है। (कुल क्षेत्रफल 0.6925 हैक्टेयर)

तहसीलदार (राजस्व) बज्जू

क्षेत्रीय वन अधिकारी

13.1.21

[illegible] भूरासर

3 ग्राम गोडू के चक 19 जीएमआर के मु.न. 1/17 के कि.न. 25 में कुल 0.0632 हैक्टेयर है। (कुल क्षेत्रफल 0.0632 हैक्टेयर)

4 ग्राम रणजीतपुरा के चक 4 पीएसएसएम (आईजीएनपी) के मु.न. 121/3 के कि.न. 19,22 में कुल 0.0897 हैक्टेयर, ग्राम रणजीतपुरा के चक 3 पीएसएसएम के मु.न. 121/4 के कि.न. 1,2 में कुल 0.0573 हैक्टेयर है। (कुल क्षेत्रफल 0.1470 हैक्टेयर)

5 ग्राम चारणवाला के चक 33 सीडब्ल्युबी के मु.न. 147/3 के कि.न. 7,13,14 में कुल 0.1229 हैक्टेयर, ग्राम चारणवाला के चक 32 सीडब्ल्युबी के मु.न. 147/3 के कि.न. 24 में कुल 0.1006 हैक्टेयर, ग्राम चारणवाला के चक 32 सीडब्ल्युबी के मु.न. 147/4 के कि.न. 4,7,8,13 में कुल 0.1423 हैक्टेयर है। (कुल क्षेत्रफल 0.3658 हैक्टेयर)

6 ग्राम बीकमपुर के चक 3 बीकेएम के मु.न. 134/59 के कि.न. 22,23 में कुल [illegible] हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 3 बीकेएम के मु.न. 134/60 के कि.न. 2,3,8,9,12,19,22 में कुल 0.1774 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 3 बीकेएम के मु.न. 134/61 के कि.न. 2,19,22 में कुल 0.0625 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 2 बीकेएम के मु.न. 155/10 के कि.न. 7 में कुल 0.0010 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 2 बीकेएम के मु.न. 155/36 के कि.न. 1,8,9,13,16,17,25 में कुल 0.2726 हैक्टेयर, बीकमपुर के बारानी खसरा न. 77/2/5 में कुल 0.3117 हैक्टेयर है। (कुल क्षेत्रफल 0.8611 हैक्टेयर)

भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित [illegible] पर [illegible] परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 [illegible] 2008 के [illegible] अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग [illegible] राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

अनुशंषा–

भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एन.एच. 911 के निर्माण करने के संबंध में समस्त वन क्षेत्र भूमि ग्राम पंचायत [illegible] में कुल क्षेत्रफल [illegible] हैक्टेयर, ग्राम पंचायत गोकुल में कुल क्षेत्रफल 0.6925 हैक्टेयर, [illegible] 0.0632 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत रणजीतपुरा में कुल क्षेत्रफल [illegible] ग्राम पंचायत चारणवाला में कुल क्षेत्रफल 0.3658 हैक्टेयर, ग्राम पंचायत बीकमपुर में कुल क्षेत्रफल [illegible] हैक्टेयर पर निर्माण करने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार वन भूमि का वन विभाग की निर्धारित मापदा मुआवजा देने की शर्त पर अनुशंषा की जाती है।

[illegible] अधिकारी

[illegible]

50
1

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत– जग्गासर

आज दिनांक 28.12.2020 को श्री अयूबखाँ ग्राम सरपंच जग्गासर की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत जग्गासर से गुजर रही है। जिसका ग्राम जग्गासर के चक 4 जेएम के मु.न. 163/46 में कि.न. 6,15,16 में कुल 0.0507 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एव 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती अथवा या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत नही किया गया है तथा वनाधिकारी समिति के कथित वनभूमि के संबंध में कोई दावा लंबित नही होने के कारण ग्राम पंचायत जग्गासर को उक्त संबंधित कार्य से कोई आपति नही है।

ग्राम पंचायत जग्गासर में कुल 0.0507 हैक्टेयर क्षेत्रफल के संबध में अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

Ayub Khan
28/12/20

28.12.2020
जग्गासर

28.12.2020
सरपंच
ग्राम पंचायत जग्गासर
पंचायत समिति – बज्जू (बीकानेर)

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत– गोकुल

आज दिनांक 29.12.20[illegible] को श्री श्रीमती सुरज कंवर ग्राम सरपंच गोकुल की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 16 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत गोकुल से गुजर रही है। जिसका ग्राम गोकुल के चक 3 जीएसएम के मु.न. 152/4 के कि.न. 11 में कुल 0.0260 हैक्टेयर कि.न. 20 में कुल 0.0252 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.0512 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 8 जीएम के मु.न. 134/39 के कि.न. 4 में कुल 0.0556 हैक्टेयर, कि.न. 7 में कुल 0.0280 हैक्टेयर, कि.न. 8 में कुल 0.0319 हैक्टेयर, कि.न. 19 में कुल 0.0494 हैक्टेयर, कि.न. 22 में कुल 0.0420 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.2075 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 5 एचएलएम के मु.न. 116/49 के कि.न. 6 में कुल 0.0252 हैक्टेयर कि.न. 7 में कुल 0.0238 हैक्टेयर, कि.न. 14 में 0.0368 हैक्टेयर, कि.न. 15 में कुल 0.0152 हैक्टेयर कि.न. 17 में कुल 0.0518 हैक्टेयर, कि.न. 24 में कुल 0.0517 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.2045 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 16 डीओबीबी के मु.न. 98/46 के कि.न. 22 में कुल 0.0758 हैक्टेयर, कि.न. 23 में कुल 0.0048 हैक्टेयर, कुल भूमि 0.0806 हैक्टेयर, ग्राम गोकुल के चक 16 डीओबीबी के मु.न. 98/47 के कि.न. 1 में कुल 0.0871 हैक्टेयर, कि.न. 2 में कुल 0.0364 हैक्टेयर, कि.न. 10 में कुल 0.0252 हैक्टेयर कुल भूमि 0.1487 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 16 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी खेती आवास या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नही किया गया है तथा वनाधिकारी समिति के [illegible] कोई दावा लंबित नही होने के कारण ग्राम पंचायत गोकुल को उक्त प्रस्तावित कथित वनभूमि के संबंध में कार्य से कोई आपत्ति नही है।

ग्राम पंचायत गोकुल में उक्त कुल वन भूमि 0.6925 हैक्टेयर क्षेत्रफल के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

पटवारी (भू.अ.)
पटवार मण्डल गोकुल
तहसील बज्जू (बीकानेर)

ग्राम विकास अधिकारी
[illegible]

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पचायत– गोडू

आज दिनांक 22-12-2020 को श्रीमती शारदा देवी ग्राम सरपच गोडू की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत गोडू से गुजर रही है। जिसका ग्राम गोडू के चक 19 जीएमआर के मु.न. 1/47 के किता 25 में कुल 0.0632 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एव 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतार–रणजीतपुरा बाप) एनएच 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत नही किया गया है तथा वनाधिकार समिति के वांछित वनभूमि के संबंध में कोई दावा लबित नही होने के कारण ग्राम पंचायत गोडू को उक्त संबंधित कार्य से कोई आपति नहीं है।

ग्राम पचायत गोडू में कुल 0.0632 हैक्टेयर क्षेत्रफल के संबंध में अनापति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

ग्रा.पं. गोडू

राजस्व पटवारी
प.ह. गोडू
(बीकानेर)

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत– रणजीतपुरा

आज दिनांक 29.12.2020 को श्रीमती शारदा देवी .... ग्राम सरपंच रणजीतपुरा की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत रणजीतपुरा से गुजर रही है। जिसका ग्राम रणजीतपुरा के चक 4 पीएसएसएम के मु.न. 121/3 के कि.न. 19,22 में कुल 0.0897 हैक्टयर, ग्राम रणजीतपुरा के चक 3 पीएसएसएम के मु.न. 121/4 के कि.न. 1,2 में कुल 0.0573 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी भली आवास या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि मे कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत्त नही किया गया है तथा वनाधिकारी समिति के कार्यरत वनभूमि के संबंध में कोई दावा लंबित नही होने के कारण ग्राम पंचायत रणजीतपुरा को उक्त प्रस्तावित कार्य से कोई आपत्ति नही है।

ग्राम पंचायत रणजीतपुरा में कुल 0.1470 हैक्टेयर क्षेत्रफल के संबंध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

29.12.2020

शारदा
(शारदा देवी)
सरपंच
ग्रा.प. रणजीतपुरा
प.स.बज्जू खालसा (बीकानेर)

राजस्व पटवारी
प.ग. रणजीतपुरा तह.बज्जू

29.12.20
(संदीपसिंह)
ग्राम विकास अधिकारी
ग्रा.प. रणजीतपुरा
प.स.बज्जू खालसा (बीकानेर)

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत– चारणवाला

आज दिनांक 30/12/2020 को श्री राणा राम नायक ग्राम सरपंच चारणवाला की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत चारणवाला से गुजर रही है। जिसका ग्राम चारणवाला के चक 33 सीडब्ल्युडी के मु.न. 147/3 के कि.न. 7,13,14 में कुल 0.1229 हैक्टेयर, ग्राम चारणवाला के चक 32 सीडब्ल्युडी के मु.न. 147/3 के कि.न. 24 में कुल 0.1006 हैक्टेयर, ग्राम चारणवाला के चक 32 सीडब्ल्युडी के मु.न. 147/4 के कि.न. 4,7,8 13 में कुल 0.1423 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एवं 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल–दंतौर–रणजीतपुरा–बाप) एनएच 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, खेती आवास या अन्य किसी भी आजिविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी को भूमि मे कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत नही किया गया है तथा वनाधिकारी समिति के उक्त वनभूमि के संबंध में कोई दावा लंबित नही होने के कारण ग्राम पंचायत चारणवाला को उक्त संबंधित कार्य से कोई आपत्ति नही है।

ग्राम पंचायत चारणवाला में कुल 0.3658 हैक्टेयर क्षेत्रफल के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

पटवारी
हल्का चारणवाला
तहसील बज्जू
खण्ड बज्जू (बीकानेर)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत चारणवाला
पंचायत समिति, बज्जू (खालसा)

वन क्षेत्र विपथन अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत-- बीकमपुर

आज दिनांक 20/12/2020 को श्री रतिराम सिंह भाटी ग्राम सरपंच बीकमपुर की उपस्थिति में ग्राम समिति के सदस्य उपस्थित हुए। भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल--दंतौर--रणजीतपुरा--बाप) एनएच 911 के निर्माण कार्य के दौरान आने वाले वन क्षेत्र में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम पंचायत बीकमपुर से गुजर रही है। जिसका ग्राम बीकमपुर के चक 3 बीकेएम के मु.न. 134/59 के कि.न. 22,23 में कुल 0.0354 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 3 बीकेएम के मु.न. 134/60 के कि.न. 2,3,8,9,12,19,22 में कुल 0.1779 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 3 बीकेएम के मु.न. 134/61 के कि.न. 2,19,22 में कुल 0.0825 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 2 बीकेएम के मु.न. 155/16 के कि.न. 7 में कुल 0.0010 हैक्टेयर, ग्राम बीकमपुर के चक 2 बीकेएम के मु.न. 155/36 के कि.न. 1,8,9,13,16,17,25 में कुल 0.2726 हैक्टेयर, बीकमपुर के बारानी खसरा न. 77/2/5 में कुल 0.3117 हैक्टेयर है।

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी अधिनियम 2006 एव 2008 तथा संशोधित अधिनियम 2013 के अन्तर्गत विपथन हेतु भारतमाला परियोजना पैकेज 10 (पूगल--दंतौर--रणजीतपुरा--बाप) एनएच 911 का निर्माण के लिए तथा कोई अनुसूचित जनजाति और आदिम निवासी, अपने आवास या अन्य किसी भी आजीविका के लिए इसका उपयोग नही कर रहा है तथा किसी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी को भूमि में कोई व्यक्तिगत वन अधिकार प्रदत नही किया गया है तथा वनाधिकार समिति के कथित वनभूमि के संबध में कोई दावा लंबित नही होने के कारण ग्राम पंचायत बीकमपुर को उक्त संबंधित कार्य से कोई आपत्ति नही है।

ग्राम पंचायत बीकमपुर में उक्त कुल वन भूमि 0.8611 हैक्टेयर क्षेत्रफल के संबध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

हल्का पटवारी
पं.स. बीकमपुर
तहसील बज्जू (बीकानेर)

सरपंच
ग्राम पंचायत बीकमपुर
पंचायत समिति बज्जू

...लय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, खाजूवाला

-एसडीओ/खाजू/भूमि अवा./21/133 दिनांक:-- 25/01/21

बैठक कार्यवाही विवरण

पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या 8बी/राज/06/10/2015/एफ.सी/201 दिनांक 02.06.2015 एंव प्रशासनिक सुधार विभाग (अनुभाग-3) राजस्थान जयपुर की आज्ञा कमांक: प. 6(14) प्रसु/अनु-3/2008 (1) दिनांक 14.02.2008 द्वारा अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 द्वारा गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 01.01.2021 को 03:00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में कार्यालय हाजा में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण एंव सदस्यगण उपस्थित हुए:-

1. उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला
2. श्रीमती ममता बिरडा, प्रधान पंचायत समिति खाजूवाला।
3. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति खाजूवाला
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, बेरियांवाली।

बैठक में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरण बैठक में विचारार्थ रखा गया:-

1. भारतमाला परियोजना पैकेज-10 (खाजूवाला-पूगल खण्ड) एंव (पूगल-दन्तौर-जग्गासर-गोकुल-गौडू-रणजीतपुरा-चारणवाला-नोख-बाप खण्ड) एन.एच. 911 के निर्माण के संबध में ग्राम पंचायत माधोडिग्गी में कुल क्षेत्रफल 1.0518 हैक्टेयर एवं बेरियांवाली में कुल क्षेत्रफल 0.5444 हैक्टेयर कुल संकलित क्षेत्रफल 1.5962 हैक्टेयर पर निर्माण कार्य के दौरान आने वाले रक्षित वन क्षेत्र में अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारियों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

अनुशषा:-

1. भारतमाला परियोजना पैकेज-10 (खाजूवाला-पूगल खण्ड) एव (पूगल-दन्तौर-जग्गासर-गोकुल-गौडू-रणजीतपुरा-चारणवाला-नोख-बाप खण्ड) एन.एच. 911 के निर्माण के संबध ग्राम पंचायत माधोडिग्गी में कुल क्षेत्रफल 1.0518 हैक्टेयर एवं बेरियांवाली में कुल क्षेत्रफल 0.5444 हैक्टेयर कुल संकलित क्षेत्रफल 1.5962 हैक्टेयर पर निर्माण कार्य करने के संबध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सडक परिवन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार) हेतु सर्वसम्मति से नियमानुसार कृषक समुदाय को निर्धारित मापदा मुआवजा देने की शर्त पर अनुशंषा की जाती है।

भवदीय

ममता
प्रधान
पंचायत समिति खाजूवाला
जिला बीकानेर (राज.)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति खाजूवाला

(प्रभजोत सिंह गिल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
खाजूवाला (जिला बीकानेर)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
बेरियांवाली (खाजूवाला)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
दन्तौर

तहसीलदार (राजस्व)
खाजूवाला

[Type text]